राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5 एवं एकलव्य भवन,
डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर,जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फैक्स : 0141–5127388, 2701822 फोन नः 0141– 2705483

क्रमांक :– रास्कूशिप / जय / आर.ए.ए. / 2020–21/13885 दिनांक :– 19/8/2020

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान
दिशा निर्देश 2020–21

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान भारत सरकार का चरणबद्ध कार्यक्रम है, जिसका शुभारम्भ भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा 09 जुलाई 2015 को किया गया। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अन्तर्गत आयु वर्ग 6 से 18 के विद्यार्थियों को लक्षित किया गया है।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का प्रारम्भ सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सत्र 2016–17 में किया गया एवं गत वर्ष इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश 2019–20 क्रमांक 5498 दिनांक 06 सितम्बर, 2019 जारी किये गये। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 की गतिविधियों को संचालन हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये जा रहे है।

विश्व स्तर पर शिक्षा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मुख्य अभियान के रूप में उभर रहा है। उच्चतर शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों का विकास हो रहा है, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी संस्थान भी शामिल है। इस विकासात्मक कदम के तहत भविष्य में विद्यार्थियों का वैज्ञानिक नवाचार की ओर ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है। इसी क्रम में विद्यालयों में वैज्ञानिक गतिविधियों का विस्तार, खोज, नवाचारों हेतु वातावरण तैयार किया जाना है।

विद्यालय आधारित ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन में अनुसरण एवं विज्ञान, गणित की सार्थक गतिविधियों व आनन्ददायी शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नवाचार और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अर्न्तदृष्टि और रचनात्मकता के साथ विज्ञान, गणित में अभिरूचि विकसित करना,विज्ञान, गणित में रूचि लेने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में उपलब्ध तकनीक का प्रभावी उपयोग करना, आवश्यक सहयोग देकर अकादमिक उत्कृष्टता व अनुसंधान विधा को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम के उद्देश्य :–

- विद्यालय व कक्षा कक्ष में सम्प्रेषण विधा के साथ कक्षा कक्ष के सीमित वातावरण से परे विज्ञान, गणित व तकनीकी उपलब्धताओं जैसे प्रौद्योगिकी अवलोकन द्वारा सीखने के अवसरों को उपलब्ध कराना।
- विद्यार्थियों को वैज्ञानिक अन्वेषण के अवसर उपलब्ध करवाना ताकि वैज्ञानिक सोच, अन्वेषण प्रवृति को प्रोत्साहित किया जा सके।
- विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी को विद्यार्थियों के लिए रोमांचक बनाना, उन्हें खोज के लिए प्रोत्साहित करना एवं विद्यालय के अन्दर व बाहर की गतिविधियों का समन्वयन कर प्रभावी गतिविधि आधारित अध्ययन पर बल देना।

www.rajteachers.com

- विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अर्न्तदृष्टि, विज्ञान विषय में अभिरूचि, जिज्ञासा व समझ विकसित करना।
- विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित व प्रौद्योगिकी (एसएमटी) में सक्षम बनने के लिए प्रेरित करना एवं उन्हें इन विषयों से जोड़ना जिससे इन्हें अवलोकन, प्रयोग द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचना, मॉडल निर्माण, तर्कशक्ति का विकास, जांच परीक्षा इत्यादि हेतु सक्षम बनाया जा सके।
- प्रत्येक विद्यार्थी में वैज्ञानिक व्यवहार एवं वैज्ञानिक संस्कृति का उद्‌भव करना।
- विद्यार्थियों में विज्ञान, गणित व प्रौद्योगिकी को सीखने के लिए जिज्ञासा, उत्साह व अन्वेषण का माहौल तैयार करना।
- विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक विधा से सोचने, आविष्कार करने, प्रयोग कर सीखने की विधा को विकसित करना।
- विद्यार्थियों को विज्ञान व गणित का अध्ययन करवाकर सीखने के उचित स्तर को प्राप्त कराना।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (2020–21)

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 2020–21 के अन्तर्गत कार्यक्रम के विस्तार हेतु कुल राशि 1013.41 लाख रूपये का प्रावधान है।

- **इस सत्र 2020–21 में राष्ट्रीय आविष्कार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का बजट प्रावधान :–**

तालिका 1

क्र. सं.	गतिविधि	दर	बजट प्रावधान रू.	क्रियान्वयन का स्तर
(प्रारम्भिक शिक्षा कक्षा 6–8 हेतु)				
1.	राज्य में विद्यार्थियों हेतु एक्स्कर्शन विजिट (Excursion Trip with in State)	100 विद्यार्थी प्रति जिला 200 / – की दर से	6.60 लाख	ब्लॉक स्तर पर
2.	विज्ञान एवं गणित क्लबो का गठन	3400 विद्यालय 500 / – की दर से	17.00 लाख	विद्यालय स्तर पर
3.	विद्यालय में गणित किट उपलब्ध कराना।	10 गणित किट प्रति ब्लॉक 1661 रुपये प्रति किट	49.9961 लाख	राज्य स्तर पर
4.	विद्यालय में विज्ञान किट उपलब्ध कराना।	10 विज्ञान किट प्रति ब्लॉक 9656 रुपये प्रति किट	290.6456 लाख	राज्य स्तर पर
		कुल योग (प्रारम्भिक शिक्षा)	**364.2417 लाख**	

www.rajteachers.com

क्र. सं.	गतिविधि	दर	बजट प्रावधान रू.	क्रियान्वयन का स्तर
(माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6–12 हेतु)				
5.	राज्य से बाहर एक्सपोज़र विजिट	330 विद्यार्थी (10 विद्यार्थी प्रति जिला) 3000/– की दर से	9.90 लाख	संभाग स्तर पर जिलो का समूह बनाकर
6.	विज्ञान एवं गणित क्लबो का गठन	3400 विद्यालय 1000/– की दर स	34.00 लाख	विद्यालय स्तर पर
7.	विद्यालयों में विज्ञान किट उपलब्ध कराना।	4434 विद्यालय 10947/– की दर से	485.39 लाख	राज्य स्तर पर
8.	विद्यालयों में गणित किट उपलब्ध कराना।	4434 विद्यालय 1907/– की दर से	84.55लाख	राज्य स्तर पर
9.	प्रारम्भिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु विज्ञान मेला, क्विज प्रतियोगिता एवं पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन	1,00,000/– प्रति जिला एवं राज्य	34.00 लाख	जिला स्तर पर (33) एवं राज्य स्तर पर (01)
10.	राज्य में विद्यार्थियों हेतु अध्ययन भ्रमण (Study Trip for Students to Higher Institutions within State)	20 विद्यार्थी प्रति जिला 200/– की दर से	1.32 लाख	जिला स्तर पर
		कुल योग (माध्यमिक शिक्षा)	649.17 लाख	
		कुल योग (प्रारम्भिक शिक्षा,माध्यमिक शिक्षा)	1013.41 लाख	

1. <u>कक्षा 6 से 8 के लिये राज्य में एक्स्कर्शन भ्रमण (अन्तरजिला भ्रमण)</u> :–

भ्रमण का क्रियान्वयन

- राज्य के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 3300 विद्यार्थियों हेतु प्रति जिला 100 विद्यार्थियों को अन्तरजिला एक्स्कर्शन भ्रमण **(स्वयं के जिले के अतिरिक्त एक्स्कर्शन जिला भ्रमण)** माह अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य आयोजित किया जाना है। गतिविधि कोविड 19 की परिस्थितयों के दृष्टिगत विभाग एवं प्रशासन के आदेशो के अन्तर्गत आयोजित की जायेगी।
- इस सम्बन्ध में राशि तालिका–1 की क्रम संख्या 1 के अनुसार उपलब्ध करवायी जायेगी।
- परिषद् स्तर से भुगतान स्वीकृत जारी होने तथा राशि हस्तानान्तरण उपरान्त ही इस गतिविधि के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावे।
- इस गतिविधि के संबंध में योजना का निर्माण जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त परियोजना समन्वयक एवं नोडल संस्था प्रधान/पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की सहमति से किया जायेगा।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा ब्लॉक स्तर पर चयनित विद्यार्थियों की सूची मय भ्रमण की तिथि एवं स्थान के साथ जिले के जिला परियोजना समन्वयक एवं परिषद् कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेगी।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा ब्लॉक स्तर पर चयनित विद्यार्थियों की सूची मय भ्रमण की तिथि एवं स्थान के साथ जिले के जिला परियोजना समन्वयक एवं परिषद् कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेगी साथ 50–50 विद्यार्थियों के दो दलों का संयोजन अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किया जायेगा।
- स्थान का चयन औचित्यपूर्ण तरीके से किया जायेगा।
- भ्रमण एक दिवसीय गैर आवासीय होगा।

www.rajteachers.com

- प्रत्येक जिले में समस्त चिकास खण्डों को शामिल करते हुये 50–50 विद्यार्थियों के दो दल बनाये जायेंगे। प्रत्येक दल में संयोजक ब्लॉक का प्रभारी आरपी एवं दो विज्ञान एवं गणित के शिक्षक (एक महिला एवं एक पुरुष शिक्षक) कुल तीन सदस्यीय दल प्रभारी विद्यार्थियों के साथ रहेंगे।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा यह सुनिश्चित करेंगे कि दल जिले की भौतिक स्थितियों के दृष्टिगत जिले को दो भागों मे विभक्त कर दो दल बनाये जाये। भ्रमण दल के साथ सम्मलित किये गये सभी ब्लॉक के विद्यार्थीयों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है।
- भ्रमण में छात्रा का चयन होने पर कुल तीन अध्यापकों में से एक महिला शिक्षिका का होना अनिवार्य है।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा भ्रमण दल के लिए ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था, ठहरने के स्थान एवं दल प्रभारी की नियुक्ति की पुख्ता व्यवस्था की जायेगी।
- पूर्व में जिन विद्यालयों को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की उक्त गतिविधि में सम्मलित किया गया था उन्हें वर्ष 2020–21 में शामिल नहीं किया जाये।

चयन – विद्यार्थियों के चयन के मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे

- प्रत्येक ब्लॉक से आनुपातिक रूप से विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा।
- एक विद्यालय से एक विद्यार्थी का चयन किया जायेगा।
- कक्षा 5, 6 व 7 में विज्ञांन व गणित विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा।
- भ्रमण के लिये सभी विद्यार्थी निर्धारित विद्यालयी गणवेश एवं परिचय पत्र के साथ में ही भ्रमण पर जायेंगे।
- भ्रमण पर जाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से लिखित में सहमति प्राप्त की जायेगी।
- भ्रमण के लिये सभी विद्यार्थी निर्धारित गणवेश एवं परिचय पत्र के साथ भ्रमण पर जायेंगे। भ्रमण दल प्रभारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परिचय पत्र भ्रमण प्रारम्भ होने से भ्रमण समाप्त होने तक विद्यार्थियों के गले में लटका रहे।

<u>परिचय पत्र का प्रारुप</u>

नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, विद्यालय का नाम मय ब्लॉक एवं जिला, पिता के मोबाइल नम्बर

- भ्रमण पर जाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से लिखित में सहमति प्राप्त की जायेगी।
- अधिकतम विद्यालयों को इसमें शामिल किया जायेगा।

भ्रमण स्थल :

- विज्ञान पार्को का भ्रमण।
- कल–कारखानों जहाँ साइकिल, कार, स्कुटर, रेल इत्यादि का निर्माण होता है।
- दूध डेयरी, कृषि फार्म, सिचाईं प्रणाली, बेकरी, रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, चिड़ियाघर, बिजली स्टेशन, टेलिफोन एक्सचेंज विज्ञान संग्रहालयों / पार्क / अनुसंधान व विज्ञान केन्द्रों का भ्रमण, वैज्ञानिक अभिनव केन्द्रों का भ्रमण।
- विज्ञान पार्क, विज्ञान संग्रहालय, तारा मंडल, इण्डस्ट्रीज का भ्रमण।
- आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थानों का विद्यार्थियों को भ्रमण कराया जाये।

रिपोर्ट

- ब्लॉक से जाने वाले भ्रमण दल भ्रमण की रिपोर्ट तैयार कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समेकित रिपोर्ट परिषद् कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
- रिपोर्ट में भ्रमण स्थल दूरी, यातायात का साधन, दल प्रभारी का नाम, विद्यार्थियों की सूची, भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों से प्राप्त अनुभव व फोटोग्राफ के विवरण संलग्न किया जायेगा।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

- उपयोगिता प्रमाण–पत्र गतिविधि समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर ब्लॉक द्वारा जिला स्तर पर एवं जिले द्वारा उसी माह में व्यय पीएमएस पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ अवशेष राशि यदि कोई हो तो वापस भिजवाई जायेगी।

2. विज्ञान एवं गणित क्लबो का गठन (प्रारम्भिक शिक्षा)

- जयपुर जिले मे 120 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित क्लबो का गठन किया जायेगा।
- अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, चुरू, जोधपुर, कोटा, पाली एवं उदयपुर जिले मे 110 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित क्लबो का गठन किया जायेगा।
- शेष सभी जिलों के 100 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित क्लबो का गठन किया जायेगा।
- जिले के कक्षा 6 से 8 में अधिकत नांमाकन वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह गतिविधि प्रारम्भ कि जायेगी। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित किये जायेगें।
- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत विज्ञान/गणित शिक्षक को क्लब का मेन्टर शिक्षक न्युक्त किया जायेगा।

विज्ञान एवं गणित क्लब की गतिविधियॉ के उद्धेश्य एवं क्रियान्वयन–

- विज्ञान एवं गणित क्लब मुख्य रूप से बालक – बालिकाओं में विज्ञान, गणित एवं तकनीकी की ओर आकर्षित करना एवं उच्च अध्ययन के लिए इन विषयों का चुनाव करना है।
- जिले के विज्ञान/तकनीकी विषय के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को मेंटर संस्थान चिन्हित करते हुए उनका मार्ग दर्शन प्राप्त किया जावें।
- विज्ञान एवं गणित क्लब विज्ञान प्रतियोगिताओं, क्विज प्रतियोगिताओं, विज्ञान मेलो, अर्न्तराष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 नवम्बर को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी का आयोजन करना, विद्यालय में विज्ञान/गणित किट का उपयोग करना, मॉडल चार्ट निर्माण एवं हस्त निर्मित उपकरण बनाने हेतु विद्यालय में वातावरण तैयार कर बालको को प्रेरित करेगा।
- वरिष्ठतम् विज्ञान/गणित शिक्षक की अध्यक्षता में प्रत्येक विद्यालय में एक 15 सदस्य क्लब गठित किया जायेगा।
- प्रति दो माह में विज्ञान क्लब की बैठक आयोजित कर पूर्व कार्यक्रमों कि समीक्षा एवं आगामी 2 माह के कार्यक्रमों का नियोजन किया जायेगा।

3 – 4. विद्यालय में विज्ञान एवं गणित किट उपलब्ध करवाना (प्रारम्भिक शिक्षा) :–

- राज्य के 3010 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को (दस विद्यालय प्रति ब्लॉक) विज्ञान एवं गणित किट दिये जायेगें।

www.rajteachers.com

- विज्ञान किट की सहायता से करके सीखने एवं देख कर समझने की विधा द्वारा विद्यार्थियों में शीघ्र अधिगम हो सकेगा। विद्यार्थियों में जिज्ञासा व उत्साह का वातावरण निर्मित होगा। वैज्ञानिक सोच व विज्ञान विषय के प्रति रूचि विकसित होगी जिसके परिणाम स्वरूप न्यून परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों में गुणात्मक सुधार होगा।
- गणित किट की सहायता से करके सीखने एवं देख कर समझने की विधा द्वारा विद्यार्थियों में शीघ्र अधिगम हो सकेगा। विद्यार्थियों में जिज्ञासा व उत्साह का वातावरण निर्मित होगा। वैज्ञानिक सोच व गणित विषय के प्रति रूचि विकसित होगी जिसके परिणाम स्वरूप न्यून परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों में गुणात्मक सुधार होगा।
- इसमें उत्कृष्ट विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाये।
- ब्लॉक स्तर से विद्यालयों की सूची मय डायस कोड परिषद् कार्यालय को 15 सितम्बर, 2020 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- विज्ञान एवं गणित किट ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध करवायी जायेगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्वयं के कार्यालय में उक्त किटों की स्टॉक प्रविष्टि कर परिषद् को उपलब्ध करायी गई सूची अनुसार विद्यालयों को वितरण सुनिश्चित करेंगे।
- यह कार्य माह नवम्बर, 2020 तक पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।
- पूर्व में जिन विद्यालयों में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की गतिविधि के तहत विज्ञान एवं गणित किट उपलब्ध कराए गए थे उन्हें वर्ष 2020–21 में शामिल नहीं किया जाये।

5. <u>कक्षा 9 से 12 के लिये राज्य से बाहर एक्सपोज़र विजिट (अन्तरराज्य भ्रमण)</u> :–

भ्रमण का क्रियान्वयन

- राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के 330 विद्यार्थियों को अन्तरराज्य एक्सपोजर विजिट माह अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक आयोजित किया जायेगा। गतिविधि कोविड 19 की परिस्थितयों के दृष्टिगत विभाग एवं प्रशासन के आदेशो के अन्तर्गत आयोजित की जायेगी।
- जिला परियोजना समन्वयक संभाग मुख्यालय गतिविधि आयोजन के प्रभारी अधिकारी होंगे। संभाग के अन्य जिलों के गतिविधि प्रभारी के साथ एक तैयारी बैठक आयोजित कर भ्रमण के सम्बन्ध में सभी तैयारियाँ सुनिश्चित कि जायेगी।
- अन्तरराज्य भ्रमण के लिये कार्य योजना संभाग स्तर बनायी जायेगी। योजना निर्माण समिति में जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं निम्न तालिकानुसार उत्तरदायी अधिकारी शामिल होंगे।
- इस सम्बन्ध में राशि तालिका 1 की क्रम संख्या 5 के अनुसार उपलब्ध करवायी जायेगी।
- परिषद् स्तर से भुगतान स्वीकृत जारी होने तथा राशि हस्तानान्तरण उपरान्त ही इस गतिविधि के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावे।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं उत्तरदायी अधिकारी द्वारा चयनित विद्यार्थियों की सूची मय भ्रमण की तिथि एवं स्थान के साथ परिषद् कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेगी।
- स्थान का चयन औचित्यपूर्ण तरीके से किया जायेगा।
- छात्रा का चयन होने पर भ्रमण दल में एक महिला शिक्षक का होना अनिवार्य है।
- उत्तरदायी अधिकारी द्वारा भ्रमण दल के लिए ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था, ठहरने के स्थान एवं दल प्रभारी की नियुक्ति की पुख्ता व्यवस्था की जायेगी।

www.rajteachers.com

- भ्रमण दल में संस्थाप्रधान (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) स्तर के व्यक्ति को दल प्रभारी बनाया जाये।
- प्रति 20 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षिका भ्रमण दल में रखा जाये।
- भ्रमण स्थलों पर निःशुल्क प्रवेश हेतु जिला कलेक्टर/सक्षम अधिकारी से वांछित या उचित प्रमाण-पत्र साथ लेकर जाये।
- यथा सम्भव पब्लिक ट्रान्सपोर्ट से ले जाया जावे व विद्यार्थी छूट का लाभ लिया जावे।
- भ्रमण में दो रात्रि विश्राम आवश्यक रूप से किये जायेंगे।
- पूर्व में जिन विद्यालयों में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की गतिविधि संचालित की गई थी उन विद्यालयों को वर्ष 2020-21 में शामिल नहीं किया जाये।

चयन – विद्यार्थियों के चयन के मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे

- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं परीक्षा में जिले की वरीयता सूची के अनुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 11 के विज्ञान, गणित एवं कृषि संकाय के 330 विद्यार्थियों (10 विद्यार्थी प्रति जिला) का चयन राज्य से बाहर एक्सपोजर विजिट हेतु किया जायेगा।
- भ्रमण के लिये सभी विद्यार्थी निर्धारित गणवेश एवं परिचय पत्र के साथ भ्रमण पर जायेंगे। भ्रमण दल प्रभारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा परिचय पत्र भ्रमण प्रारम्भ होने से भ्रमण समाप्त होने तक विद्यार्थियों के गले में लटका रहे।

परिचय पत्र का प्रारुप

- नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, विद्यालय का नाम मय ब्लॉक एवं जिला, पिता के मोबाइल नम्बर
- भ्रमण पर जाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से लिखित में सहमति प्राप्त की जायेगी।

भ्रमण निम्न तालिकानुसार किया जायेगा। भ्रमण की पूर्ण जिम्मेदारी उत्तरदायी अधिकारी की होगी।

क्र. सं.	संभाग	संभाग जिले	भ्रमण हेतु चयनित शहर/राज्य	भ्रमण दिनांक	उत्तरदायी अधिकारी
1.	अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक	इन्दौर (म.प्र.)	अक्टूबर, 20 से दिसम्बर, 20 के मध्य	जिला परियोजना समन्वयक, अजमेर
2.	भरतपुर	भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर	आगरा (उ.प्र.)	अक्टूबर, 20 से दिसम्बर, 20 के मध्य	जिला परियोजना समन्वयक, भरतपुर
3.	बीकानेर	बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़	कपूरथला (पंजाब)	अक्टूबर, 20 से दिसम्बर, 20 के मध्य	जिला परियोजना समन्वयक, बीकानेर
4.	चुरू	चुरू, झुंझुन, सीकर	दिल्ली	अक्टूबर, 20 से दिसम्बर, 20 के मध्य	जिला परियोजना समन्वयक, चुरू
5.	जयपुर	जयपुर, दौसा, अलवर	दिल्ली	अक्टूबर, 20 से दिसम्बर, 20 के मध्य	जिला परियोजना समन्वयक, जयपुर
6.	जोधपुर	जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर	अहदाबाद (गुजरात)	अक्टूबर, 20 से दिसम्बर, 20 के मध्य	जिला परियोजना समन्वयक, जोधपुर
7.	पाली	पाली, जालौर, सिरोही	अहदाबाद (गुजरात)	अक्टूबर, 20 से दिसम्बर, 20 के मध्य	जिला परियोजना समन्वयक, पाली
8.	कोटा	कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांरा	भोपाल (म.प्र.)	अक्टूबर, 20 से दिसम्बर, 20 के मध्य	जिला परियोजना समन्वयक, कोटा
9.	उदयपुर	उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चितौड़, प्रतापगढ़, राजसमन्द	अहदाबाद (गुजरात)	अक्टूबर, 20 से दिसम्बर, 20 के मध्य	जिला परियोजना समन्वयक, उदयपुर

www.rajteachers.com

www.rajteachers.com

भ्रमण स्थल :

- राज्य से बाहर प्रतिष्ठित उच्च शैक्षणिक संस्थानों यथा आई.आई.टी., एन.आई.टी., एम्स एवं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय आदि का भ्रमण कराया जायेगा।
- विज्ञान पार्को का भ्रमण।
- कल–कारखानों जहॉ साइकिल, कार, स्कूटर, रेल इत्यादि का निर्माण होता है।
- दूध डेयरी, कृषि फार्म, सिचाईं प्रणाली, बेकरी, रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, चिड़ियाघर, बिजली स्टेशन, टेलिफोन एक्सचेंज विज्ञान संग्रहालयों/पार्क/अनुसंधान व विज्ञान केन्द्रों का भ्रमण, वैज्ञानिक अभिनव केन्द्रों का भ्रमण।
- विज्ञान पार्क, विज्ञान संग्रहालय, तारा मंडल, इण्डस्ट्रीज का भ्रमण।
- आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थानों का विद्यार्थियों को भ्रमण कराया जाये।

रिपोर्ट :

- जिले से जाने वाले भ्रमण दल, भ्रमण की रिपोर्ट तैयार कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से परिषद् कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
- रिपोर्ट में भ्रमण स्थल दूरी, यातायात का साधन, दल प्रभारी का नाम, विद्यार्थियों की सूची, भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों से प्राप्त अनुभव व फोटोग्राफ के विवरण संलग्न किया जायेगा।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र :

उपयोगिता प्रमाण–पत्र भ्रमण समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर जिले द्वारा परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा एवं व्यय पीएमएस पोर्टल पर उसी माह में दर्ज किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में मय बचत राशि के प्रेषित कराये जायेंगे।

6. विज्ञान एवं गणित क्लबो का गठन (माध्यमिक शिक्षा)

- जयपुर जिले मे 120 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित क्लबो का गठन किया जायेगा।
- अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, चुरू, जोधपुर, कोटा, पाली एवं उदयपुर जिले मे 110 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित क्लबो का गठन किया जायेगा।
- शेष सभी जिलों के 100 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित क्लबो का गठन किया जायेगा।
- जिले के कक्षा 6 से 12 में अधिकत नांमाकन वाले राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यह गतिविधि प्रारम्भ कि जायेगी। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित किये जायेगें।
- राजकीय माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विज्ञान/गणित शिक्षक को क्लब का मेन्टर शिक्षक न्युक्त किया जायेगा।

विज्ञान एवं गणित क्लब की गतिविधियॉ के उद्धेश्य एवं क्रियान्वयन–

- विज्ञान एवं गणित क्लब मुख्य रूप से बालक – बालिकाओं में विज्ञान, गणित एवं तकनीकी की ओर आकर्षित करना एवं उच्च अध्ययन के लिए इन विषयों का चुनाव करना है।

- जिले के विज्ञान/तकनीकी विषय के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को मेंटर संस्थान चिन्हित करते हुए उनका मार्ग दर्शन प्राप्त किया जावें।
- विज्ञान एवं गणित क्लब विज्ञान प्रतियोगिताओं, क्विज प्रतियोगिताओं, विज्ञान मेलो, अर्न्तराष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 नवम्बर को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी का आयोजन करना, विद्यालय में विज्ञान/गणित किट का उपयोग करना, मॉडल चार्ट निर्माण एवं हस्त निर्मित उपकरण बनाने हेतु विद्यालय में वातावरण तैयार कर बालको को प्रेरित करेगा।
- वरिष्ठतम् विज्ञान/गणित शिक्षक की अध्यक्षता में प्रत्येक विद्यालय में एक 15 सदस्य क्लब गठित किया जायेगा।
- प्रति दो माह में विज्ञान क्लब की बैठक आयोजित कर पूर्व कार्यक्रमों कि समीक्षा एवं आगामी 2 माह के कार्यक्रमों का नियोजन किया जायेगा।
- विज्ञान विषय से तात्पर्य भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान है।

7 — 8. विद्यालय में विज्ञान एवं गणित किट उपलब्ध करवाना (माध्यमिक शिक्षा) :—

- राज्य के आदर्श विद्यालय प्रथम एवं द्वितीय चरण के 4434 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित किट दिये जायेगें।
- विज्ञान किट की सहायता से करके सीखने एवं देख कर समझने की विधा द्वारा विद्यार्थियों में शीघ्र अधिगम हो सकेगा। विद्यार्थियों में जिज्ञासा व उत्साह का वातावरण निर्मित होगा। वैज्ञानिक सोच व विज्ञान विषय के प्रति रूचि विकसित होगी जिसके परिणाम स्वरूप न्यून परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों में गुणात्मक सुधार होगा।
- गणित किट की सहायता से करके सीखने एवं देख कर समझने की विधा द्वारा विद्यार्थियों में शीघ्र अधिगम हो सकेगा। विद्यार्थियों में जिज्ञासा व उत्साह का वातावरण निर्मित होगा। वैज्ञानिक सोच व गणित विषय के प्रति रूचि विकसित होगी जिसके परिणाम स्वरूप न्यून परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों में गुणात्मक सुधार होगा।
- इसमें आदर्श विद्यालय योजना प्रथम व द्वितिय चरण के विद्यालय सम्मलित होंगे।
- ब्लॉक स्तर से विद्यालयों की सूची मय डायस कोड परिषद् कार्यालय को 15 सितम्बर, 2020 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- विज्ञान एवं गणित किट ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध करवायी जायेगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्वयं के कार्यालय में उक्त किटों की स्टॉक प्रविष्टि कर परिषद् को उपलब्ध करायी गई सूची अनुसार विद्यालयों को वितरण सुनिश्चित करेंगे।
- यह कार्य माह नवम्बर, 2020 तक पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।
- पूर्व में जिन विद्यालयों में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की गतिविधि के तहत विज्ञान एवं गणित किट उपलब्ध कराए गए थे उन्हें वर्ष 2020—21 में शामिल नहीं किया जाये।

9. प्रारम्भिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु विज्ञान मेला/विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज प्रतियोगिता एवं पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन :

वर्ष 2020—21 में कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिये जिला एवं राज्य स्तर पर विज्ञान मेला, क्विज प्रतियोगिता एवं पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन करवाया जायेगा जिसके लिये एक लाख रुपये प्रति जिला बजट प्रावधान किया गया है।

- विज्ञान मेलो के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आरएससीईआरटी, उदयपुर द्वारा जारी किये जायेंगे जिसके लिये निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :

www.rajteachers.com

1. उपायुक्त (योजना), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का प्रतिनिधि।
3. प्रभारी विज्ञान एवं गणित संकाय, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
4. प्रभारी विज्ञान प्रदर्शनी निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. उप निदेशक (योजना), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. सहायक निदेशक (योजना), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. संकाय प्रभारी, विज्ञान मेला, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
8. सहायक परियोजना समन्वयक–1, आरएससीईआरटी द्वारा नामित।

- विज्ञान मेले हेतु दिशा निर्देश उक्त समिति द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर तैयार किये जायेंगे एवं आरएससीईआरटी, उदयपुर द्वारा जारी किये जायेंगे। संकाय प्रभारी, विज्ञान मेला, आरएससीईआरटी, उदयपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि 15 सितम्बर, तक विज्ञान मेले आयोजन हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिये जावे। उक्त दिशा निर्देशों के आधार पर ही जिला एवं राज्य स्तर पर विज्ञान मेलो का आयोजन किया जायेगा। उक्त समिति के सदस्य जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित विज्ञान मेलो का पर्यवेक्षण भी करेंगे।
- विज्ञान मेलो के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) प्रभारी अधिकारी होंगे।
- विज्ञान मेलो के आयोजन हेतु राशि सीधे ही परिषद् द्वारा जिलो को उपलब्ध करायी जायेगी। जिले द्वारा आयोजक संस्था को गतिविधि आयोजन से पूर्व राशि हस्तान्तरित कि जायेगी। जिस माह में विज्ञान मेले का आयोजन होगा उसी माह में जिले द्वारा व्यय की प्रविष्टि पीएमएस पोर्टल पर दर्ज कराया जाना अनिवार्य होगा।
- दिशा निर्देशों में दर्शाई गई राशियों एवं दरों अनुसार भुगतान स्वीकृति जारी होने तथा राशि हस्तांतरण उपरांत ही विज्ञान मेले/क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा सकेगी।
- जिलो के अतिरिक्त राज्य स्तर पर विज्ञान मेला आयोजित किया जायेगा। मेले हेतु प्रत्येक जिले की स्वीकृत राशि से दस प्रतिशत राशि कम कर उपलब्ध कराई जावेगी।
- दो प्रतिशत राशि आरएससीईआरटी प्रशासनिक व्यय हेतु प्रदान कि जायेगी। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आरएससीईआरटी राज्य स्तरीय मेले कि समाप्ति के उपरान्त परिषद् को उपलब्ध कराया जायेगा। शेष आठ प्रतिशत अतिरिक्त राशि राज्य स्तरीय विज्ञान मेले के आयोजन हेतु आयोजक जिले को उपलब्ध करायी जायेगी। जो कि विज्ञान मेला एवं क्विज प्रतियोगिता के राज्य स्तरीय कार्यक्रम संयोजक को उपलब्ध करायी जायेगी।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र :

- उपयोगिता प्रमाण–पत्र गतिविधि समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर परिषद् को उपलब्ध कराया जायेगा। जिले द्वारा उसी माह में व्यय पीएमएस पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ अवशेष राशि यदि कोई हो तो वापस भिजवाई जायेगी।

10. <u>कक्षा 9 से 12 के लिये राज्य में अन्तरजिला अध्ययन भ्रमण (अपने जिले के अतिरिक्त)</u> :–

भ्रमण का क्रियान्वयन :

- राज्य के राजकीय विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 के 660 विद्यार्थियों हेतु अन्तरजिला अध्ययन भ्रमण माह अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक आयोजित किया जाना है। गतिविधि कोविड 19 की परिस्थितयों के दृष्टिगत विभाग एवं प्रशासन के आदेशो के अन्तर्गत आयोजित की जायेगी।

- इस सम्बन्ध में राशि तालिका 1 की क्रम संख्या 10 के अनुसार उपलब्ध करवायी जायेगी।
- परिषद् स्तर से भुगतान स्वीकृत जारी होने तथा राशि हस्तानान्तरण उपरान्त ही इस गतिविधि के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जाये।
- इस गतिविधि के संबंध में योजना का निर्माण जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की सहमति से किया जायेगा।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा ब्लॉक स्तर पर चयनित विद्यार्थियों की सूची मय भ्रमण की तिथि एवं स्थान के साथ जिले के जिला परियोजना समन्वयक एवं परिषद् कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेगी साथ ही 20 विद्यार्थियों का एक दल का संयोजन अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किया जायेगा।
- स्थान का चयन औचित्यपूर्ण तरीके से किया जायेगा।
- प्रत्येक जिले में समस्त विकास खण्डों को शामिल करते हुये 20 विद्यार्थियों का एक दल बनाया जायेगा। दल में संयोजक ब्लॉक का प्रभारी आरपी एवं दो विज्ञान एवं गणित के शिक्षक (एक महिला एवं एक पुरुष शिक्षक) कुल तीन सदस्यीय दल प्रभारी विद्यार्थियों के साथ रहेंगे।
- भ्रमण में छात्रा का चयन होने पर एक महिला शिक्षिका का होना अनिवार्य है।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा भ्रमण दल के लिए ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था, ठहरने के स्थान एवं दल प्रभारी की नियुक्ति की पुख्ता व्यवस्था की जायेगी।
- पूर्व में जिन विद्यालयों में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की गतिविधि संचालित की गई थी उन विद्यालयों को वर्ष 2019–20 में शामिल नहीं किया जाये।
- भ्रमण एक दिवसीय गैर आवासीय होगा।

चयन – विद्यार्थियों के चयन के मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे

- प्रत्येक जिले से विज्ञान एवं गणित विषय के अंको के औसत के आधार पर 20 विद्यार्थियों (प्रत्येक ब्लॉक से शामिल करते हुये) का चयन किया जायेगा।
- कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत कक्षाओं के कुल 20 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा।
- भ्रमण के लिये सभी विद्यार्थी निर्धारित गणवेश एवं परिचय पत्र के साथ भ्रमण पर जायेंगे। भ्रमण दल प्रभारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परिचय पत्र भ्रमण प्रारम्भ होंने से भ्रमण समाप्त होने तक विद्यार्थियों के गले में लटका रहे।

<u>परिचय पत्र का प्रारुप</u>

नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, विद्यालय का नाम मय ब्लॉक एवं जिला, पिता के मोबाइल नम्बर

- भ्रमण पर जाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से लिखित में सहमति प्राप्त की जायेगी।
- अधिकतम विद्यालयों को इसमें शामिल किया जायेगा।

भ्रमण स्थल :

- राज्य में प्रतिष्ठित उच्च शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण कराया जायेगा।
- आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित उच्चअध्ययन संस्थानों का भ्रमण करवाया जाये।
- विज्ञान पार्क, मैट्रो ट्रेन, टैक्नो हब, विज्ञान संग्राहालय आदि

www.rajteachers.com

रिपोर्ट :

- जिले से जाने वाले भ्रमण दल, भ्रमण की रिपोर्ट तैयार कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से परिषद् कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
- रिपोर्ट में भ्रमण स्थल दूरी, यातायात का साधन, दल प्रभारी का नाम, विद्यार्थियों की सूची, भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों से प्राप्त अनुभव व फोटोग्राफ के विवरण संलग्न किया जायेगा।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र :

- उपयोगिता प्रमाण–पत्र भ्रमण समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर जिले द्वारा परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा एवं व्यय पीएमएस पोर्टल पर उसी माह में दर्ज किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में मय बचत राशि के प्रस्तुत करवाये जायेंगे।
- राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अर्न्तगत गतिविधियों के क्रियान्वन कि टाइम लाइन प्ररिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

उक्त सभी गतिविधियों में :

- जिस मद के लिये राशि उपलब्ध करायी जा रही है, व्यय उसी मद में किया जायें।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देश एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- किसी भी गतिविधि में वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020–21 में प्रावधित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायें।

18/08/2020

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक
एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा

क्रमांक :– रास्कूशिप / जय / आर.ए.ए. / 2020–21 / 13885 दिनांक :– 19.08.2020

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रथम एवं द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.ई.आर.टी.), उदयपुर (राज.)।
7. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
8. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा –समस्त जिलों को भेजकर निर्देश है कि प्रभारी (आरएए) को उक्तानुसार निर्देशित करें।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट, 2020–21 में
अनुमोदित गतिविधियों को आयोजित करने हेतु समय सीमा (Time Line)
"राष्ट्रीय आविष्कार अभियान"

क्र. सं.	गतिविधि	गतिविधि आयोजित किये जाने का माह	क्रियान्वयन का स्तर
(प्रारम्भिक शिक्षा कक्षा 6–8 हेतु)			
1.	राज्य में विद्यार्थियों हेतु एक्स्कर्शन विजिट (Excursion Trip with in State)	नवम्बर–दिसम्बर, 2020	ब्लॉक स्तर पर
2.	विज्ञान एवं गणित क्लबो का गठन	सितम्बर, 2020	विद्यालय स्तर पर
3	विद्यालय में विज्ञान किट उपलब्ध कराना।	सितम्बर, 2020	राज्य स्तर पर
4.	विद्यालय में गणित किट उपलब्ध कराना।	सितम्बर, 2020	राज्य स्तर पर
(माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6–12 हेतु)			
5.	राज्य से बाहर एक्सपोज़र विजिट	अक्टूबर–दिसम्बर, 2020	संभाग स्तर पर जिलो का समूह बनाकर
6.	विज्ञान एवं गणित क्लबो का गठन	सितम्बर, 2020	विद्यालय स्तर पर
7.	विद्यालयों में गणित किट उपलब्ध कराना।	सितम्बर, 2020	राज्य स्तर पर
8.	विद्यालयों में विज्ञान किट उपलब्ध कराना।	सितम्बर, 2020	राज्य स्तर पर
9.	प्रारम्भिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु विज्ञान मेला, क्विज प्रतियोगिता एवं पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन	अक्टूबर–दिसम्बर, 2020	जिला स्तर पर (33) एवं राज्य स्तर पर (01)
10.	राज्य में विद्यार्थियों हेतु अध्ययन भ्रमण (Study Trip for Students to Higher Institutions within State)	अक्टूबर–दिसम्बर, 2020	जिला स्तर पर

www.rajteachers.com